

G.C.M.S. No. - 2021/46
प्रकरण संख्या - 41/21 (डि.वि.)

30/3/21

पञ्जाबी पेश हुये अधिवक्ता प्रथी रूप।
अधिवक्ता प्रथी इस स्टेप पर प्रकरण
के प्रेष नहीं करते हैं। अतः प्रकरण प्रोद्युक्त
में स्थिर किया जात है। पञ्जाबी फौजद
सुमार केकर अन्तर से कम हो

Not Pressed
प्रथी के
प्रकरण

(के.के. शर्मा)
जिला कलक्टर
चिसीहगढ़

